भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1316
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों से अधूरे वादे

1316. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों द्वारा पूर्व में किए गए विरोध-प्रदर्शनों, जिनमें 700 से अधिक किसानों की कथित रूप से जान चली गई थी, के दौरान सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए संवैधानिक गारंटी प्रदान करने के वायदे को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) विरोध करने वाले किसानों द्वारा उठाई गई 12 मांगों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे और आंदोलन न हों, उठाए गए विशिष्ट कदमों जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी शामिल है, का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय किसान कल्याण पर कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देने को किस प्रकार न्यायोचित ठहराएगा जबकि उचित मूल्य निर्धारण, समय पर खरीद और न्यायसंगत नीतियों जैसे मुद्दों का समाधान नहीं किया गया है;

(घ) भारत में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) हेतु कानूनी गारंटी की मांग किए जाने के संबंध में सरकार के रुख का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विधान लाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार वर्तमान विनियमों के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य की उच्चतम सीमा से संबंधित चिंताओं का किस प्रकार समाधान करने की योजना बना रही है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): सरकार प्रत्येक वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर देश के लिए अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। जुलाई 2018 में, भारत सरकार ने उत्पादन लागत के कम से कम 150 प्रतिशत के स्तर पर एमएसपी तय करने का निर्णय लिया था। एमएसपी पर खरीद प्रक्रिया में राज्य एजेंसियों द्वारा खरीद केन्द्रों की स्थापना से लेकर किसानों का पंजीकरण, फसलों का वर्गीकरण और भुगतान तक के कई चरण शामिल होते हैं। एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई 2022 को एक समिति गठित की गई है। समिति की विषय-वस्तु में शामिल हैं: (i) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता देने के व्यावहारिकता पर सुझाव और इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय, और (ii) देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करना करना ताकि घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य देकर अधिक मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। अब तक इस समिति की छह (06) बैठकें और इसकी विभिन्न उप-समितियों की 39 बैठकें हो चुकी हैं।

प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों को लेकर 8 फरवरी, 2024 को वार्ता शुरू की गई थी। इसके बाद 12, 15, 18 फरवरी 2024 और 18 जनवरी 2025 को चर्चा हुई।

प्रदर्शनकारी किसानों और उनकी मांगों से संबंधित मुद्दे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समिति भी गठित की गई है। किसानों के साथ अगले दौर की चर्चा 14 फरवरी, 2025 को निर्धारित है।

सरकार किसानों को उचित मूल्य और आय सहायता सुनिश्चित करने के लिए कई स्कीमों और नीतियों को कार्यान्वित कर रही है जैसे कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान (पीएम-आशा) जिसमें मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस), मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ), भावांतर भुगतान स्कीम (पीडीपीएस) और बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस), एमएसपी पर सार्वजनिक खरीद, राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) आदि घटक शामिल हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें बाजार की अस्थिरता और शोषण से बचाना है। इन स्कीमों को न्यूनतम समर्थन मूल्यों का समर्थन करने, बाजार पहुंच में सुधार करने और कृषि उपज की समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

****